

The Bihar Agricultural University (Amendment) Act 2010

Act 19 of 2010

Keyword(s):

University, Higher Education, Agriculture, College, Research and Extension Education Programmes

Amendment appended: 11 of 2015

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 वैशाख 1932 (शO) -

(सं0 पटना 294)

पटना, बुधवार, 28 अप्रील 2010

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

28 अप्रील 2010

सं0 एल0जी01-17/2009/लेज-135—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 24 अप्रील, 2010 को अनुमित दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है:-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मजहर इमाम, प्रभारी सचिव।

[बिहार अधिनियम 19, 2010] बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010

बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (बिहार अधिनियम 8, 1988) को संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।—(1) यह अधिनियम बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा,
 - (3) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो, बिहार सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।
- 2. बिहार अधिनियम 8, 1988 की धारा—2 में संशोधन।—धारा—2 की उप—धारा (xxi) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।—
 - "(xxi) "क्षेत्र से अभिप्रेत है धारा—3 की उप—धारा (1) (i) और (ii) के अधीन यथाउपबंधित विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार"।
- 3. बिहार अधिनियम 8, 1988 की धारा—3 में संशोधन।—धारा—3 की उप—धारा (1) का (i) और (ii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे:—

- ''(i) राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय पूसा होगा और इसका क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (ii) अनुसूची—I में उल्लिखित सभी महाविद्यालय, शोध तथा प्रायोगिक केन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्र अथवा अन्य संस्थान इसके पदाधिकारियों एवं प्राधिकारों के पूर्ण प्रबंधन और नियंत्रण के अधीन इसकी अंगीभूत इकाइयाँ होंगी और ऐसी कोई इकाई को संबद्ध इकाई के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी। अनुसूची—I में किसी संस्थान को जोड़ने अथवा उसमें से किसी संस्थान को हटाने की शक्ति राज्य सरकार की होगी।"
- 4. बिहार अधिनियम 8, 1988 की धारा—4 में संशोधन।—(।) अधिनियम की धारा—4 की उप—धारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :--
 - ''(1) कृषि और इस अधिनियम में व्यापक तौर पर परिभाषित इसके सहबद्ध विषयों में विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण, शोध एवं विस्तार शिक्षा से संबंधित विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता तथा उत्तरदायित्व का विस्तार धारा—3 (1) का (i) एवं (ii) में यथा उल्लिखित क्षेत्र तक होगा।''
 - (2) अधिनियम की धारा-4 की उप-धारा (4) विलोपित की जायगी।
 - (3) अधिनियम की धारा–4 की उप–धारा (5) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:–
 - ''(5) विश्वविद्यालय का अपने पूरे क्षेत्राधिकार में यह प्राधिकार होगा कि वह राज्य में कृषि विषयक शिक्षा, शिक्षण, शोध और प्रशिक्षण की व्यवस्था करें।''
- 5. बिहार अधिनियम 8, 1988 की धारा—38 में संशोधन।—अधिनियम की धारा—38 की उप—धारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी :—
 - "(1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के समय विद्यमान तथा धारा—3 की उप—धारा (1) (i) और (ii) में यथानिर्दिष्ट क्षेत्रीय अधिकारिता में आने वाले सभी महाविद्यालयों, अनुसंधान तथा प्रायोगिक केन्द्रों, कृषि विज्ञान केन्द्रों अथवा अन्य संस्थानों का अनुरक्षण, नियंत्रण तथा प्रबंधन विश्वविद्यालय द्वारा जारी रहेगा"।

अनुसूची - I

I. शैक्षिक संस्थान–

- 1. कृषि संकाय, पूसा, समस्तीपुर
- 2. तिरहुत कृषि महाविद्यालय, ढोली, मुजफ्फरपुर
- 3. गृह विज्ञान महाविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर
- 4. कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर
- 5. मात्रियकी महाविद्यालय, ढोली, मुजफ्फरपुर
- मौलिक विज्ञान और मानविकी महाविद्यालय, पुसा, समस्तीपुर

II. अनुसंधान संस्थान/केन्द्र/उप–केन्द्र–

- 1. ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा, समस्तीपुर
- 2. पशु उत्पादन अनुसंधान संस्थान, पूसा, समस्तीपुर
- 3. क्षेत्रीय अनुसंधान उप केन्द्र, माधोपुर, पश्चिम चम्पारण
- 4. केला अनुसंधान केन्द्र, हाजीपुर, वैशाली
- 5. उद्यान अनुसंधान केन्द्र, बिरौली, समस्तीपुर
- 6. गहरा जल धान अनुसंधान केन्द्र, बिरौल, दरभंगा
- 7. धान अनुसंधान केन्द्र, झंझारपुर, मधुबनी

III. कृषि विज्ञान केन्द्र-

- 1. कृषि विज्ञान केन्द्र, खोदावन्दपुर, बेगूसराय
- 2. कृषि विज्ञान केन्द्र, सरैया, मुजफ्फरपुर
- 3. कृषि विज्ञान केन्द्र, जाले, दरभंगा
- 4. कृषि विज्ञान केन्द्र, हरिहरपुर, वैशाली
- 5. कृषि विज्ञान केन्द्र, भगवानपुर हाट, सीवान
- 6. कृषि विज्ञान केन्द्र, माधोपुर, पश्चिम चम्पारण
- 7. कृषि विज्ञान केन्द्र, बिरौली, समस्तीपुर
- 8. कृषि विज्ञान केन्द्र, सारण
- 9. कृषि विज्ञान केन्द्र, गोपालगंज
- 10. कृषि विज्ञान केन्द्र, पिपराकोठी, पूर्वी चम्पारण
- 11. कृषि विज्ञान केन्द्र, शिवहर

28 अप्रील 2010

सं0 एल0जी0 1-17/2009/लेज-136—बिहार विधान मंडल द्वारा यथा-पारित और महामिहम राज्यपाल द्वारा दिनांक 24 अप्रील, 2010 को अनुमत बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 का निम्निलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मजहर इमाम, प्रभारी सचिव।

[Bihar Act 19, 2010]

THE BIHAR AGRICULTURAL UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 2010

AN ACT

TO AMEND THE BIHAR AGRICULTURAL UNIVERSITY ACT, 1987 (BIHAR ACT, 8, 1988)

BE it enacted by the legislature of the state of Bihar in the sixty one year of the Republic of India as follows:

- 1. Short title, extent and commencement:— (1) This Act may be called the Bihar Agricultural University(Amendment) Act 2010.
 - (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar,
- (3) It shall come into force on such date as the Government may appoint by notification in the Government gazette.
- 2. Amendment in Section-2 of Bihar Act 8 of 1988:—Sub-Section (xxi) of Section-2 of the Act 1987 will be substituted by
 - "(xxi) Region means the jurisdiction of the University as provided under subsection (1) (i) and (ii) of Section-3"
- 3. Amendment in Section-3 of Bihar Act 8 of 1988:—(i) and (ii) of Sub Section (1) of section 3 shall be substituted by the following:
 - "(i) The Rajendra Agricultural University with its headquarters at Pusa having its jurisdiction over the whole of the state of Bihar.
 - (ii) All Colleges, Research and Experimental Stations, Krishi Vigyan Kendras or other Institutions mentioned in Schedule-I shall be its constituent units under the full managment and control of its officers and authorities and no such units shall be recognized as affiliated units. The State Government shall have power to add or delete any institution from Schedule-I. "
- 4. Amendment in Section-4 of Bihar Act 8 of 1988:—Sub-Section (1) of Section-4 of the Act shall be substituted by the following:
 - "(1)With respect to teaching at the University or college level, research, and extension education programmes in the field of agriculture and its allied fields broadly defined in this Act, the territorial jurisdiction and responsibility of the University shall extend to the area as mentioned in Section -3 (1) (i) and (ii)."
 - (2) Sub Section (4) of Section -4 of the Act will be deleted.
 - (3) Sub Section (5) of Section -4 of the Act shall be substituted by the following:
 - "(5) The University shall have authority throughout its jurisdiction to provide for,instruction,teaching,research and training in Agriculture in the State".
- 5. Amendment in Section-38 of Bihar Act 8 of 1988:—Sub Section (1) of Section-38 of the Act shall be substituted by the following:

"(1) All colleges, Research and Experimental Stations, Krishi Vigyan Kendras or other Institutions existing at the time of commencement of the Act and falling within the territorial jurisdiction as referred in Sub Section (1)(i) and (ii) of Section -3 shall continue to be maintained, controlled and managed by the University."

Schedule-I

I. Educational Institutes—

- 1. Faculty of Agriculture, Pusa, Samastipur
- 2. Tirhut College of Agriculture, Dholi, Muzaffarpur
- 3. College of Home Science, Pusa, Samastipur
- 4. College of Agricultural Engineering, Pusa, Samastipur
- 5. College of Fisheries, Dholi, Muzaffarpur
- 6. College of Basic Science & Humanities, Pusa, Samastipur

II.Research Institutes/Stations/Sub Stations—

- 1. Sugarcane Research Institute, Pusa, Samastipur
- 2. Animal Production Research Institute, Pusa, Samastipur
- 3. Regional Research Sub Station, Madhopur, West Champaran
- 4. Banana Research Station, Hajipur, Vaishali
- 5. Horticultural Research Station, Birauli, Samastipur
- 6. Deep Water Rice Research Station, Biraul, Darbhanga
- 7. Rice Research Station, Jhanjharpur, Madhubani

III. Krishi Vigyan Kendras—

- 1. Krishi Vigyan Kendra, Khodawandpur, Begusarai
- 2. Krishi Vigyan Kendra, Saraiya, Muzaffarpur
- 3. Krishi Vigyan Kendra, Jale, Darbhanga
- 4. Krishi Vigyan Kendra, Hariharpur, Vaishali
- 5. Krishi Vigyan Kendra, Bhagwanpur Hat, Siwan
- 6. Krishi Vigyan Kendra, Madhopur, West Champaran
- 7. Krishi Vigyan Kendra, Birauli, Samastipur
- 8. Krishi Vigyan Kendra, Saran
- 9. Krishi Vigyan Kendra, Gopalganj
- 10. Krishi Vigyan Kendra, Piprakothi, East Champaran
- 11. Krishi Vigyan Kendra, Sheohar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 294-571+400-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in



बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

(सं0 पटना 540)

16 वैशाख 193*7* (श0) पटना, बुधवार, 6 मई 2015

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

6 मई 2015

सं0 एल0जी0-1-12/2014/68 लेज:।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामिहम राज्यपाल दिनांक 29 अप्रील, 2015 को अनुमित दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 (बिहार अधिनियम 11, 2015)

बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010(बिहार अधिनियम 12, 2010) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत—गणराज्य के छियासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

- 1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।**—(1) यह अधिनियम बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो, सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाय।
- 2. **बिहार अधिनियम 12, 2010 की धारा—31 में संशोधन।** उक्त अधिनियम, 2010 की धारा—31 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी:—
- '31 (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक लेखा विवरणी, कुलपित के निदेशाधीन नियंत्रक द्वारा तैयार की जाएगी और सभी प्रकार के स्त्रोतों से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत एवं प्राप्त सभी धन और विश्वविद्यालय द्वारा संवितरित एवं भुगतान किए गए सभी धन लेखा में दर्ज किया जायेगा।
- (2) (i) विश्वविद्यालय के लेखा की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा, समय—समय पर, किया जायेगा। राज्य सरकार भी, आवश्यकतानुसार, इस निमित नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा उक्त लेखा की लेखापरीक्षा करवा सकेगी।
- (ii) लेखा, लेखापरीक्षा के बाद, मुद्रित की जाएगी और कुलपति द्वारा उसकी प्रतियाँ, लेखापरीक्षण–प्रतिवेदन सिंहत, प्रबंधन–बोर्ड एवं कुलाधिपति को प्रस्तुत की जाएंगी।
- (3) प्रबंधन—बोर्ड लेखा की प्रति एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई के विवरण के साथ प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपेगा और राज्य सरकार विधान मंडल के सदनों के समक्ष उसे उपस्थापित करवाएगी।"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव।

6 मई 2015

सं0 एल0जी0-1-12/2014/69 लेज:।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामिहम राज्यपाल द्वारा 29 अप्रील 2015 को अनुमत **बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

Bihar Agricultural University (Amendment) Act, 2015 (Bihar Act 11, 2015)

AN

ACT

To Amend the Bihar Agricultural University Act,2010 (Bihar Act,12,2010)

Be it enacted by the legislature of the state of Bihar in the sixty sixth year of the Republic of India as follows:-

- 1. Short title, extent and commencement. (1) This Act may be called the Bihar Agricultural University (Amendment) Act 2015.
 - (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force on such date as may be appointed by the Government, by notification, in the official gazette.
- 2. Amendment in Section-31 of Bihar Act 12 of 2010. Section-31 of the said Act 2010 shall be substituted by the following:-

- "31 (1) The statement of annual accounts of University shall be prepared by the Comptroller under the direction of the Vice-Chancellor and all the money accruing to or received by a University from all kinds of sources and all amount disbursed and paid by a University shall be entered in the accounts.
- (2) (i) The accounts of the University shall be audited by the Comptroller and Auditor-General of India from time to time. The State Government may also cause audit of the said accounts by a chartered Accountant appointed for the purpose as per needs.
- (ii) The accounts, after audited, shall be printed and copies with the audit report shall be presented by the Vice-Chancellor to the Board of Management and to the Chancellor.
- (3) The Board of Management shall submit a copy of the accounts and the report to the State Government with the statement of the action taken by a University on the audit report and the State Government shall cause the same to be laid before the Houses of the Legislature."

By order of the Governor of Bihar, MANOJ KUMAR, Joint Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 540-571+400-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in